न्यायालय तहसीलदार(राजस्व) छतरगढ़ जिला बीकानेर

मु.नं. 02/2025 GCMS NO. 2025/2 निर्णय दिनांक 26.06.2025

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का छतरगढ़ (ए) तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर

(प्रार्थी)

बनाम

गिरधारी पुत्र मघाराम जाति सुथार साकिन छतरगढ तहसील छतरगढ जिला बीकानेर।

(अप्रार्थी)

अन्तर्गत राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22

–निर्णय–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का छतरगढ (ए) व भू.अ.निरीक्षक छतरगढ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि अप्रार्थी ने चक 3 डीओएल के मुरब्बा नम्बर 126/60 के किला नम्बर 21 = 0.02, 22 = 0.02, 23 = 0.02, 24 = 0.02, 25 = 0.02 कुल 0.10 बीघा कमाण्ड गैर मुमकिन रास्ते की भूमि पर कृषि सम्वत् 2082 फसल खरीफ में अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर नरमा की फसल काश्त कर ली है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ, जो शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी ने उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि, उक्त गैर मुमकिन रास्ते की भूमि पर सीमाज्ञान के अभाव में अतिक्रमण हुआ है।

राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के प्रावधानो के तहत कोई व्यक्ति उपनिवेशन क्षेत्र में बिना किसी विधिक अधिकार के किसी भूमि पर काबिज होने अथवा लगातार काबिज रहने की स्थिति मे अतिक्रमी माना जावेगा तथा उसे इस धारा के प्रावधानो के तहत तहसीलदार द्वारा बेदखल किया जावेगा। ऐसा अतिक्रमी 50 गुना लगान की शास्ति तक दण्ड़ का भागी व पश्चातवर्ती अतिक्रमण की दशा में 3 माह के सिविल कारावास का भागी होगा।

अतः प्रकरण मे अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है, तथा भू–राजस्व का 50 गुना 88/– अक्षरे अठ्यासी रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। भू.अ.निरीक्षक, पटवारी हल्का को आदेशित किया जाता है कि चक 3 डीओएल के मुरब्बा नम्बर 126/60 के किला नम्बर 21 = 0.02, 22 = 0.02, 23 = 0.02, 24 = 0.02, 25 = 0.02 कुल 0.10 बीघा कमाण्ड गैर मुमकिन रास्ते की भूमि पर खडी फसल को नष्ट कर, गैर मुमकिन रास्ता खुलवाकर, अप्रार्थी को बेदखल कर फर्द मौका रिपोर्ट मय बेदखली प्रस्तुत करे।

तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी व भू.अ.निरीक्षक, पटवारी हल्का को अप्रार्थी से शास्ति वसूल करने एवं मौके से बेदखली बाबत लिखा जावे। पत्रावली फैसल शूमार होकर नम्बर से कम कर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 26.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विवेक चौधरी)
तहसीलदार एवं कार्यपालक दण्डनायक
छतरगढ़ (बीकानेर)